

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर भालेरी

अनुवान नोरती देवी बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 9114 / 2025

निर्णय दिनांक 02/07/25

नोरती देवी पत्नी बीरबल राम जाति जांगिड़ निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरु

बनाम

प्रार्थनी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी


-::निर्णय::-

प्रार्थनी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर भालेरी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 183 खसरा नं. 65 तादादी 5.5764 हैक्ट., खसरा नं. 81 तादादी 3.6038 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम रैताना में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थनी का नाम गोरती पत्नि बीरबलराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम नोरती देवी पत्नि बीरबल राम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थनी का नाम नोरती देवी पत्नि बीरबल राम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम रैताना तहसील तारानगर के खाता संख्या 183 खसरा नं. 65 तादादी 5.5764 हैक्ट., खसरा नं. 81 तादादी 3.6038 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थनी का नाम गोरती पत्नि बीरबलराम Delete कर इसके स्थान पर नोरती देवी पत्नि बीरबल राम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/07/25 को कैम्प कोर्ट भालेरी में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)